न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/119/2022 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 07.07.2022

उनवान

1. भैरु पुत्र गुलाब जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मोडाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कमला पुत्री गुलाब जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मोडाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. चम्पालाल पुत्र गुलाब जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मोडाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. जमनालाल पुत्र गुलाब जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मोडाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भैरु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मजरा, रुपाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. नाथू पुत्र भज्जा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मजरा, रुपाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. पारस पत्नी भैरु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मजरा, रुपाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
4. मादू पुत्र भज्जा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मजरा, रुपाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. विनोद पुत्र भैरु जाति गाडरी उम्र 10 वर्ष नाबालिग बविलायत माता पारस पत्नी भैरु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी मजरा, रुपाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
6. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड0 —प्रार्थी
अधिवक्ता श्री सैयद अश्फाक अली —अप्रार्थी संख्या 1 से 5

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 22.04.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि यह कि मौजा मोडाखेडा पटवार हल्का जीतीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 45 की आराजी संख्या 178 रकवा 1.05 हैक्टर बारानी 2 कुल किता 1 कुल रकबा 1.05 हैक्टर स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी दर्ज है प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी संख्या 178 पर आने जाने के लिये आराजी संख्या 195 की पुर्वी मेड के सहारे सहारे होकर अपनी कृषि आराजीयात में आते जाते रहे है लेकिन रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है आराजीयात पर आने जाने का कादमी रास्ता भी उक्त मेड से ही आते जाते रहे है। इस वर्ष अप्रार्थीगण ने रास्ते में डोल लगाकर खम्बे गाडकर तारजाली से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण का उनके खेत में आने जाने का मार्ग बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों की हकाई जुताई फसल लाने ले जाने का काम नही कर पा रहे है तथा मौसम काश्त का होने से हकाई बुवाई व सभी कृषि कार्यो में ट्रेक्टर व बेलगाडी व अन्य साधनों के नही आने जाने से प्रार्थीगण की आराजीयात में सभी कार्य अवरोधित हो रहे है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात को विकसित नहीं कर पा रहे है तथा यदि अप्रार्थी की आराजी संख्या 195 की पुर्वी मेड पर रास्ता नही दिलाया गया तो प्रार्थीगण अपने खेतों में कृषि करने हेतु बुवाई हकाई व फसल उपज लाने ले जाने से वंचित हो जायेंगे तथा प्रार्थीगण के आराजी संख्या 178 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन

.गण की आराजीयात में आने जाने गाडी, बैल, टेक्ट्रर, फसल लाने ले जाने के लिये 7 मीटर चौडा / वर्णित आराजीयात संख्या 195 के पुर्वी मेड पर जिसे नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से A, B, C, D बिन्दु ..या गया है दिलाया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के और अन्य कोई रास्ता नही है अतः उक्त रास्ता प्रार्थीगण के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता , कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण विधि अनुसार रास्ता भूमि मुल्य अदा करने अथवा भुमि के .मान भुमि अप्रार्थी को देने हेतु तत्पर है।

यह कि दिनांक 01/07/2022 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजीयात पर आने जाने के रास्ता देने को निवेदन किया अप्रार्थी ने मना कर दिया। हल्का पटवारी से सम्पर्क किया पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01/07/2022 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र कालम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने गाडी, बैल, फसल, मवेशी, लाने ले जाने के लिए 7 मीटर चौडा रास्ता आराजी संख्या 195 के पुर्वी मेड पर नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से बिन्दु संख्या A, B, C, D तक दर्शाया है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 195 से आराजी संख्या 178 तक का रास्ता प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में किस्म रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे विधि अनुसार प्रार्थीगण भूमि शुल्क अदा करने को तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 प्राप्त होकर दिनांक 18.07.2023 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा मोडाखेडा की आराजी संख्या 178 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा मोडाखेडा से ग्राम सुरजपुरा की ओर जाने वाली कच्ची सडक (रास्ते) से आ0नं0 195 की पूर्वी मेड के सहारे—सहारे, आ0 नं0 178 के ठीक पूर्वी दिशा के कोने तक पहुंचने हेतु उक्त प्रस्तावित एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी न्यूनतम (120मी0) है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात में से भूमि नहीं चाहते है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार

   आ0सं0 195 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे आ0 नं0 178 के पूर्वी कोने तक पहुंच हेतु प्रस्तावित एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुसार, रास्ते बाबत् भूमि का क्षेत्रफल 480 वर्ग मी0 (120 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई) राजस्व रेकार्ड अनुसार बनता है जो दूरी में न्यूनतम है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

D
22

आ0नं0 195 में से 480 वर्ग मी0 (120 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)
कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0480 हैक्ट0 है।
कुल राशि डी0एल0सी0 दर 519653 रूपये प्रति हैक्टयर से 0.0480 हैक्ट0 भूमि की राशि 24945 रूपये का दुगुना 49890 रूपये बनते है।

स उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन, उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा मोडाखेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 178 रकबा 1.05 हैक्ट0, स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 195 से रास्ता चाह रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा मोडाखेडा की आ0 सं0 178 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा मोडाखेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 178 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा मोडाखेडा की आ.न. 195 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 195 में से 1200मी0 × 4मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0480 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 26.05.2023 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क के अनुसार कुल रकबा 0.0480 हैक्ट0 की डीएलसी दर 519653 × 0.0480 हैक्ट0 = 24945 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 49890/— रूपये अक्षरे उनचास हजार आठ सौ नब्बे रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर—भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, कपासन
कपासन जिला चित्तौड़गढ़